राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि0

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

8 वेस्ट पटेल नगर, सर्किट हाउस रोड, जोधपुर
Phone: 0291 2511031 / 2516199 Fax: 0291 2511029
Email:- ggmlsu.rsmml@rajasthan.gov.in **GSTIN 08AAACR7857H1Z0**

निविदा संख्याः RSMM/SBU&PC-LS/GGM(LS)/Cont-14/2024–25/ दिनांक 04.03.2025

एस.बी.यू. एवं पी.सी.–लाईमस्टोन, जोधपुर में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सेवायें किराये पर ऐजेन्सी के माध्यम से दिये जाने हेतु ई–निविदा प्रपत्र

द्वारा
समूह महाप्रबंधक (लाईम स्टोन)
आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, लाईम स्टोन, जोधपुर

ऑनलाईन डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 04.03.2025 से 01.04.2025 को अपरान्ह् 1.00 बजे
ऑनलाईन निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं समय	:	दिनांक 02.04.2025 अपरान्ह् 3.00 बजे तक
संविदा खुलने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 02.04.2025 अपरान्ह् 3.30 बजे
निविदा प्रपत्र का मूल्य	:	रू. 1180 / –

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

8, वेस्ट पटेल नगर , सर्किट हाउस रोड , जोधपुर

Phone: 0291 2511031 / 2516199 Fax: 0291 2511029

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

निविदा संख्याः RSMM/SBU&PC-LS/GGM(LS)/ Cont-14/2024–25/ दिनांक 04.03.2025

ई – निविदा सूचना

एस.बी.यू. एवं पी.सी.–लाईमस्टोन, जोधपुर में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सेवायें किराये पर ऐजेन्सी के माध्यम से दिये जाने हेतु उच्च कुशल प्रकृति के श्रमिकों की सेवायें उपलब्ध करवाने इच्छुक विर्निदिष्टित बोलीदाताओं/संवेदकों, जो कि राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.), आयकर (पेन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हों से ऑन–लाईन प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

कार्य का विवरण	बयानाराशि	कार्य की अवधि
एस.बी.यू. एवं पी.सी.–लाईमस्टोन, जोधपुर में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सेवायें किराये पर ऐजेन्सी के माध्यम से दिये जाने उच्च कुशल प्रकृति के श्रमिकों की सेवायें अनुबन्ध के आधार पर उपलब्ध करवाने हेतु (श्रमिकों की संख्या लगभग 04)।	रूपये 31,500/– (डिमाण्ड डाफ्ट, आर0 एस0 एम0 एम0 लि0, जोधपुर के नाम देय हो)	03 वर्ष
निविदा प्रपत्र मूल्य : (अहस्तान्तरणीय) रूपये 1180/– वस्तु एवं सेवा कर सहित (अप्रतिदेय) डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि आर.एस.एम.एम.लि, जोधपुर के नाम देय		
ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क : रु. 500 /– डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि एमडी. आर. आई. एस. एल जयपुर के नाम देय		
निविदाप्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	निविदा विक्रय डाउनलोड करने की तिथि दिनांक. 04. 03.2025 से 01.04.2025 दोपहर 1.00 बजे तक	
ऑनलाईन निविदा जमा कराने की तिथि एवं समय	दिनांक 01.04.2025 अपरान्ह् 3.00 बजे तक	
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 02.04.2025 अपरान्ह् 3.30 बजे	
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्तें rsmm.com, sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदाप्रपत्र वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।		

निविदाओं को निम्न योग्यताओं के आधार पर आगे की प्रक्रिया के लिए प्रि–क्वालिफाइड किया जावेगाः

1. निविदाकर्ता को राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.), आयकर (पेन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं निविदाकर्ता के पास कम से कम रु. 7.8 लाख का कारोबार पिछले तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2021–22, 2022–23 अथवा 2023–24 में से किसी एक वर्ष में स्वयं नाम से होना आवश्यक है।

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

8, वेस्ट पटेल नगर , सर्किट हाउस रोड , जोधपुर

Phone: 0291 2511031 / 2516199 Fax: 0291 2511029

''बोलीदाता (bidder) के द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है। बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन–पत्र (Untertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।

नोट :– सफल बोलीदाता को यह शपथ–पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि निविदा अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबंन्धित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबनध नियम, 1970 /संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण–पत्र की प्रति संबंन्धित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

2. ई–निविदा के बारे में विस्तृत जानकारी ई–निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है जो कि rsmm.com, eproc.rajasthan.gov.in तथा sppp.rajasthan.nic.in पर उपलब्ध है ।
निविदा ऑनलाईन भरी जावेगी । टेंडर फीस व प्रोसेसींग फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दी जायेगी । धरोहर राशि निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं निविदा प्रक्रिया शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट ई निविदा प्रस्ताव के साथ जमा कराने होंगे । निविदाकर्ता से अनुरोध है कि org https://eproc. rajasthan.gov.in वेबसाईट पर दी गई जानकारियों को पढ़ें तथा उनको समझ कर ऑनलाईन निविदा उसी के अनुसार भरें। इच्छुक व्यक्ति/कम्पनी /संस्था को निविदायें अहस्तान्तरणीय मूल्य/दर भाग में प्रस्तुत करनी होगी । प्राप्त निविदाओं उपरोक्तानुसार तिथि को संस्थान के लाईम स्टोन कार्यालय, जोधपुर में ऑनलाईन खोली जायेगी। प्रबन्धन बिना कोई कारण बताये निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त कर सकता है । फैक्स द्वारा भिजवाई गई निविदायें मान्य नहीं होगी ।
संयुक्त उद्यमों/साझेदारी को इस निविदा में भाग लेने की अनुमति है, जो संयुक्त /अलग–अलग उत्तरदायित्वों के अधीन है, ऐसे मामलों में भागीदारों/सदस्यों के कुल कारोबार पर विचार किया जाएगा।
3. जिन निविदाकर्ताओं को कम्पनी/किसी सरकारी संगठन/विभाग द्वारा प्रतिबंधित या निलंबित कर दिया गया है एवं निलंबन अवधि के दौरान इस निविदा में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होंगें।

समूह महाप्रबन्धक (लाईम स्टोन)

<u>नोट</u>: निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि निविदा में किसी भी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट के लिये निविदा की देय तिथी तक हमारी वेबसाठईट देखें ।

अनुभाग – प्रथम

अनुभाग–प्रथम

1.00 परिभाषा

इस निविदा में दिये गये निम्नलिखित शब्दों का अर्थ इस प्रकार से है :

1.1 ''**आरएसएमएमएल**'' या कंपनी का अर्थ राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड से है जिसका पजीकृत कार्यालय सी–89–90, लाल कोठी स्कीम, जयपुर–302015, राजस्थान है और कारपोरेट कार्यालय 4– मीरॉ मार्ग, उदयपुर– राजस्थान है।

1.2. **अनुबंधकर्ता** : अनुबंध के अर्न्तगत व्यक्ति या व्यक्तियों, फर्म अथवा कंपनी जिसका निविदा आरएसएमएमएल ने स्वीकृत कर लिया है और अनुबंधकर्ता की परिभाषा में अनुबंधकर्ता के वैधानिक प्रतिनिधि, प्रषासक, उत्तराधिकारी और एक्जीक्यूटर को भी सम्मिलित किया गया है ।

1.3 **वैधानिक दायित्व** : खान/कार्य क्षैत्र से संबंधित मौजुदा कानूनों के अर्न्तगत आने वाले वैधानिक दायित्वों से है ।

1.4 **स्वीकृति** का अर्थ है कम्पनी/इन्जिनियर इन्चार्ज/ऑफिसर इन्चार्ज द्वारा लिखित में अनुमोदन करने से है ।

1.5 **प्राधिकरण अधिकारी** : प्राधिकरण अधिकारी से तात्पर्य कंपनी के प्रबंध संचालक से है ।

1.6 **प्रबंध निदेशक** : प्रबंध निदेशक का अर्थ है आरएसएमएमएल के प्रबंध संचालक से है ।

1.7 **अनुंबंध** : अनुबंध का अर्थ है कार्य को निष्पादित करने हेतु कंपनी और अनुबंधकर्ता के मध्य हुए एग्रीमेन्ट से है । इसमें सारे दस्तावेज जैसे अनुबंधकर्ता को आमंत्रित करने हेतु आमंत्रण पत्र, अनुबंधकर्ता को दिये गये निर्देश, अनुबंध की सामान्य स्थिति, अनुबंध की विशेष स्थिति, कार्यक्षेत्र, सामान्य आवश्यकताऐं, कार्यावधि, कार्यादेश जारी करने हेतु लेटर ऑफ इन्टेन्ट, ईमेल/ फैक्स आदि को भी सम्मिलित किया गया है।

1.8 **अनुबन्ध दर व अनुसूची दर व निविदा दर व पारिश्रमिक की दर** : का अर्थ निविदादाता द्वारा निविदा मे वर्णित शब्दों और अंकों में भरी गई दर से है और जिसे कंपनी ने अनुबंध और अनुबन्ध में आने वाले सभी दायित्वों का अनुबन्धकर्ता के द्वारा निष्पादन हेतु स्वीकृत किया है।

1.9 **आफिसर इन्चार्ज** का अर्थ : कंपनी का नामित अधिकारी जो इस कार्य का समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय, निर्देशन और समय–समय पर, इस कार्य हेतु प्रशासन करेगा, से है।

1.10 **महाप्रबन्धक; संविदाः** का अर्थ है आरएसएमएमएल संविदा विभाग के महाप्रबंधक संविदा से या कंपनी द्वारा नामित अधिकारी जो आफिस में महा प्रबंधक – संविदा का उतराधिकारी हो को शामिल किया गया है।

1.11 **वरिष्ठ प्रबन्धक(प्रशासन)** का अर्थ : कंपनी का नामित अधिकारी जो इस कार्य का समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय, निर्देशन और समय–समय पर, इस कार्य हेतु प्रशासन करेगा, से है।

1.12 **LOA /DLOA :** से तात्पर्य निविदादाता को लेटर/ईमैल/ फेक्स द्वारा सूचना देने से है, कि निविदादाता की निविदा कंपनी द्वारा स्वीकृत कर ली गई है । यह स्वीकृति लेटर ईमेल/फैक्स में दिये गये प्रावधान अनुसार है ।

1.13 **लिखित सूचना** : पंजीकृत डाक द्वारा निविदादाता के अन्तिम ज्ञात व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पते पर रजिस्टर्ड़/हेड/लोकल ऑफिस के पते पर भेजने से है।

1.14 समूह महा प्रबंधक (एलएस) : का अर्थ है समूह महा प्रबंधक एस.बी.यू. एवं पी.सी. –लाईमस्टोन, जोधपुर, आरएसएमएमएएल या कंपनी द्वारा नामित अधिकारी जो आफिस में समूह महा प्रबंधक(एलएस) का उतराधिकारी हो, को शामिल किया गया है ।

1.15 एजेन्ट : आरएसएमएमएल, एस.बी.यू. एवं पी.सी.–लाईमस्टोन, जोधपुर के अधेन खानों में खान अधिनियम के तहत नामित अधिकारी ।

1.16 **साईट** का अर्थ भूमि या अन्य स्थान से हैं, जहॉ निविदादाता को कंपनी द्वारा दिया गया कार्य, कार्यादेश अनुसार करने से है ।

1.17 **टेण्डर** : NIT की एवज में निविदादाता द्वारा दी गई निविदा, बाद में किये गये विचार विमर्श, वार्तालाप, जो कंपनी और निविदादाता के बीच में हुआ है को सम्मिलित किया जायेगा ।

अनुभाग – द्वितीय

निविदाकर्ता के लिए सामान्य शर्तें एवं निर्देश :

1) निविदाकर्ता अपनी निविदा राजस्थान सरकार की वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑन–लाईन ही प्रस्तुत कर सकते हैं । अन्य किसी माध्यम से निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2) निविदाकर्ता इस विषय की विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाईट पर दिये गये लिंक पर दी गई जानकारी से प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3) इच्छुक निविदाकर्ता को स्वयं को उपरोक्त ई–निविदा पोर्टल पर पंजिकृत कराना आवश्यक होगा तत्पश्चात ही ई–निविदा को ऑन–लाईन भरने के लिए पात्र होगा ।
4) इच्छुक निविदाकर्ता के पास ई–निविदा प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिए भारत सरकार के आई.टी. एक्ट 2000 के प्रावधानों के तहत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है एवं ई–निविदा के सभी दस्तावेज आदि डिजिटली हस्ताक्षरित करने होंगे । जिसके बगैर उपरोक्त निविदा प्रक्रिया स्वीकृत नहीं होगी।
5) डाउनलोड किये गये ई–निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन, निविदाकर्ता द्वारा नहीं किया जावेगा एवं उल्लंघन की स्थिति में ऐसी निविदा को निरस्त माना जायेगा।
6) निविदा का सम्पूर्ण विवरण एवं प्रपत्र उपरोक्त वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसको निविदाकर्ता द्वारा डाउनलोड किया जावेगा ।
7) निविदाकर्ता द्वारा सभी संलग्न दस्तावेज तथा निविदा प्रपत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित, मोहरबन्द किया जाना आवश्यक है तत्पश्चात उपरोक्त दस्तावेजों व निविदा प्रपत्र डिजिटली हस्ताक्षरित कर संबंधित वेबसाईट पर ऑनलाईन अपलोड करना है ।
8) उपरोक्त दस्तावेजों के साथ में ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा धरोहर राशि की स्कैन कॉपी को भी अपने ई–निविदा प्रस्ताव के साथ अपलोड करना आवश्यक है। उपरोक्त तीनों शुल्कों के बारे में विवरण अथवा डी.डी. की स्कैन कॉपी अपलोड न करने पर ई–निविदा मान्य नहीं होगी।

9) उपरोक्त तीनों शुल्क तथा निविदा प्रपत्र की पत्रता के अनुसार तीनों वांछित मूल शपथ पत्र को समूह महाप्रबन्धक (लाईमस्टोन) जोधपुर कार्यालय में, ऑनलाइन निविदा अपलोड करने की नियत तिथि व समय पर या उससे पूर्व, प्रस्तुत करना होगा। इन प्रपत्रों के ऊपर निविदाकर्ता अपना नाम, पता, टेलीफोन नम्बर तथा निविदा संख्या एवं कार्य का विवरण साफ–साफ अक्षरों में अंकित करेगा। निविदा प्रपत्र नियत समय पर प्रस्तुत न करने की अवस्था में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
10) ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क इस निविदा के लिये रूपये 500/– निर्धारित है जो कि एम0डी0, आर0आई0एस0एल0 जयपुर के नाम देय होगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य तथा निर्धारित धरोहर राशि डी0 डी0 आर0एस0एम0एम0एल0, जोधपुर के पक्ष में देय होगी।
11) ई–निविदा पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in बोली से सम्बन्धित सभी प्रक्रिया के लिये इस्तेमाल किया जायेगा । तकनीकी बोली फार्म ओर मूल्य बोली फार्म डाउनलोड करने के लिए निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध हो जायेगा । पंजिकृत बोली दाताओं ई टेण्डर प्रणाली में लोग–इन (login) करें ओर बोली फार्म डाउनलोड कर सकते हैं ।
12) प्रत्येक निविदाकर्ता केवल एक ही निविदा प्रस्तुत करेगा या तो व्यक्तिगत रूप से या एक साझेदारी फर्म या एक निजी रूप/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या एक सहकारी समिति ।

13) निविदाकर्ता को अपने स्वयं के हित में निविदा दस्तावेज पूरी तरह से ओर ध्यान से पढ़ने के लिए सलाह दी जाती है ।

14) निविदाकर्ता द्वारा स्थान एवं परिसर आदि का निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वयं को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर लेना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में यदि कोई जानकारी चाहिए तो उप प्रबन्धक (अनुबन्ध) से प्राप्त कर सकते हैं । निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की अनभिज्ञता एंव आपत्ति/ संशोधन स्वीकार नहीं किया जावेगा। इस निविदा के तहत कार्य की दरों के सम्बन्ध में प्राप्त निविदा दरों को ही अन्तिम माना जावेगा एवं निविदा दरों में किसी प्रकार का नेगोशिऐशन के लिये मान्य नहीं होगा।

15) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के सभी प्रावधान इस निविदा पर लागू होते हैं।

16) कम्पनी देरी, हानि या पोस्ट/कूरियर सेवा के माध्यम से भेजा आवश्यक दस्तावेज न मिलने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।

17) तकनीकी – वाणिज्यिक निविदा :

तकनीकी वाणिज्यिक निविदा के रूप में निविदा दस्तावेज में निर्धारित निम्न दस्तावेजों को ऑन लाईन अपलोड किया जाना चाहिए।

1 वांछित बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट।
2 नाम, पता, ई–मेल, टेलिफोन नं0, मोबाइल नं., फैक्स नं0 इत्यादि की जानकारी। परिशिष्ठ – ''अ'' जो निविदाकर्ता से संबंधित है।
3 फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र) की सत्यापित फोटो प्रति एवं साझेदारी डीड की सत्यापित फोटो प्रति/मेमोरेन्डम और आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन, की सत्यापित प्रतिलिपि, कम्पनी की स्थिती में संलग्न करें ।
4 पेन कार्ड नम्बर व जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित फोटो प्रति ।
5 पॉवर ऑफ अटॉर्नी जो अधिकृत प्रतिनिधि के सन्दर्भ में जो निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेगा।
6 अपवाद एवं विचलन (Exception and deviation) परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार ।
7 निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर । परिशिष्ठ ''स''
8 निविदा प्रपत्र में अतिरिक्त शर्तें नहीं होने, निविदाकर्ता को पूर्व में कम्पनी द्वारा निलम्बित न किये जाने व कम्पनी के साथ कोई भी लम्बित विवाद न होने हेतु अण्डरटेकिंग परिशिष्ठ–(य) के अनुसार देनी होगी । नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी परिशिष्ट–(र) में प्रस्तुत करना।
9 राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम–1970 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्रधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति।
10 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्राधिकारी से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें। अगर निविदादाता पर भविष्य निधि अधिनियम 1952 लागू नही होता है तो परिशिष्ठ ''स'' के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
11 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम–1948 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्राधिकारी से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति ।
12 राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम–1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट–1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट–1956 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति ।
13 अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हों की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियां (यदि हों तो)।

14 राजस्थान लोक उपानन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपानन नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में संलग्न परिशिष्ठ है।

15 चार्टेड अकांउटेंट से प्रमाणित ऑडिटेड बेलसं शीट की कॉपी जो टेंडर में उल्लेखित वित्तीय वर्षों की होनी चाहिए, निविदाकर्ता के कारोबार को प्रमाणित करने हेतु ।

16 Annexure-B में निविदाकर्ता द्वारा घोषणा किया जाना आवश्यक है।

18) **Price Offer/BOQ** कार्य की दरें :

i. कार्य की दरें ऑन–लाईन भरनी है। निविदाकर्ता अपनी प्रस्तावित दरें पोर्टल पर उपलब्ध निविदा के बीओक्यू (BOQ) फार्म में ही भरें। वर्तमान में श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी श्रम विभाग के आदेश संख्या F.(5)(6) न्यू. म. अभि./श्रम/आई.आर. /2000/पार्ट/23926 दिनांक 31.08.2023 के आधार पर देय हैं।

ii. द्वितीय भाग कार्य की दरें ऑन लाईन निविदा भरने का प्रफॉर्मा के अनुसार है । निविदाकर्ता बीओक्यू (BOQ) को वेबसाईट से डाउनलोड कर अपनी दर प्रस्ताव को भरने के पश्चात अपलोड करेगा । किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा दिये गये सेम्पल दर प्रस्ताव फोरमेट (जो कि मात्र निविदाकर्ता की जानकारी हेतु संलग्न किया गया है) में दर इंगित करना निशेध है। इस स्थिति में निविदा निरस्त मानी जावेगी ।

iii. निविदाकर्ता कार्य की दरें प्रथम भाग या किसी अन्य लिफाफे में या अन्य माध्यम से प्रस्तुत नहीं करें ऐसे प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे तथा निविदाकर्ता यदि अपनी दरें निविदा के किसी भाग में इंगित करता है तो इस अवस्था में ऐसी निविदा को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

iv. प्रथम तकनीकी वाणिज्यिक भाग में सफल निविदाकारों को सूचीबद्ध किया जावेगा एवं मात्र सफल सूचीबद्ध निविदाओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से सम्बन्धित) खोला जायेगा। सफल निविदाकारों को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से अवगत करा दिया जायेगा।

v. ***In consideration of office memorandum of Ministry of Finance, GoI, New Delhi dated 28.01.2014 and guidelines of Ministry of Commerce, GoI, New Delhi dated 17.09.2014,:-***

   i. ***"The bidder shall quote service charge as % (percentage) of minimum wages in the prescribed column of BOQ.***

   ii. ***"If a firm quotes NIL charges/consideration, the bid shall be treated as unresponsive and will not be considered."***

   iii. ***"The bidder necessarily has to quote over and above Zero percent service charge (zero percent includes all derivates of zero upto 0.9999) and any service charge not adhering to the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, GoI, New Delhi guidelines order no. 31/14/1000/2014-GA dated 17.09.2014 shall be considered unresponsive and such bid shall not be considered".***

19) निविदा की वैधता :

निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा की अवधि 120 दिन के लिए मान्य होगी । इस वैधता अवधि या बढाई गई वैधता अवधि में कोई भी परिवर्तन या संशोधन या निरस्तीकरण निविदा में नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अगर निविदादाता ऐसा करता है तो ऐसे निविदादाता की धरोहर राशि/ बयाना राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अगर

निविदादाता कार्य को स्वीकार करने या कार्य को निर्धारित समय में नहीं करता है तो निविदादाता की धरोहर राशि/अमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

20) धरोहर राशि/बयाना राशि :

20.1 बोलीदाता द्वारा रू 31,500/— राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में, जो कि आर0 एस0 एम0 एम0 लि0, जोधपुर के नाम से देय हो जमा कराने होंगे, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। बिना धरोहर राशि निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि, सफल निविदाकर्ता को कार्य आदेश जारी होने के पश्चात लौटा दी जायेगी तथा इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । सफल निविदाकर्तों की धरोहर राशि को अमानत राशि में समायोजित किया जा सकेगा । धरोहर राशि किसी अन्य रुप में स्वीकार नहीं की जायेगी । बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

20.2 धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।

20.3 सफल निविदाकर्ता की प्रार्थना पर धरोहर राशि को अमानत राशि में भी समायोजित किया जा सकता है। असफल निविदाकर्ता जो तकनीकी—वाणिज्यिक निविदा के मूल्यांकन में असफल हो गये है उनकी धरोहर राशि जल्द से जल्द लौटा दी जायेगी । बाकी बचे हुए निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि सफल निविदाकर्ता को LOA/DLOA जारी करने के बाद लौटायी जायेगी ।

20.4 बिना धरोहर राशि के निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा । धरोहर राशि अन्य रुपयों में जैसे चेक से बैंक गारण्टी, एफडीआर आदि रुपों में स्वीकार्य नही है।

20.5 निम्नलिखित कारणों/दशाओं में धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा :

1.0 अगर निविदादाता, निविदा को, निविदा की वैधता अवधि में संशोधित या निरस्त करता है, तब ।

2.0 अगर निर्धारित समयावधि में निविदादाता द्वारा अमानत राशि जमा नहीं की जाती है।

3.0 अगर निर्धारित समयावधि में निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रारुप में एग्रीमेन्ट नहीं किया है तब ।

4.0 अगर निविदादाता द्वारा निविदा में कोई गलत सूचना/ गलत दस्तावेज/ गलत सत्यापन दस्तावेजों का किया है तो ।

5.0 अगर निविदादाता द्वारा निर्धारित समायावधि में कार्य शुरु नहीं किया जाता है या कंपनी द्वारा दिये गये ऑफर को स्वीकार नहीं किया है या स्वीकार करने के बाद निर्धारित समायावधि में कार्य शुरु नहीं किया है तो।

21) अमानत राशि :

21.1 अमानत राशि कुल अनुबंधित राशि (Total Contract Value) की 10 प्रतिशत होगी, जो कि बैंक गारन्टी/अथवा डीडी द्वारा देय होगी । बैंक गारन्टी उचित मूल्य के नॉन ज्युडिसियल स्टॉम्प पेपर (प्रचलित स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम) कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में (किसी भी पीएसयू बैंक से एसबीआई / आईसीआईसीआई / एक्सिस/एचडीएफसी बैंक से दी जा सकती है ।

21.2 अमानत राशि को अनुबंध अवधि के समाप्त होने के छः माह बाद लौटायी जायेगी लेकिन अनुबन्धकर्ता को अनुबंध से संबंधित उसके सारे दायित्व पूरे करने होंगे और कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र कंपनी को प्रस्तुत करना होगा।

21.3 कंपनी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह पूर्ण या आंशिकतौर पर अमानत राशि को जब्त कर सकती है तब जब अनुबन्धकर्ता या तो अनुबंध के अधीन अपने दायित्व पूरे नहीं करें या कंपनी से संबंधित सभी देयताओं को कंपनी को भुगतान करने में असफल हो ।

21.4 अगर अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी कारणवश अमानत राशि कम पडती है तो अनुबंधकर्ता को अतिरिक्त अमानत राशि जमा करानी पडेगी । कंपनी अमानत राशि की पूर्ति अनुबंधकर्ता के मासिक बिलों में से भी कर सकती है ।

21.5 अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

21.6 **अतिरिक्त अमानत राशि :–**

(अ) आरटीपीपी अधिनियम और नियम 75 में निर्दिष्ट अमानत राशि के अलावा असुंतुलित बोली के मामले में सफल बोलीदाता से एक अरितरिक्त अमानत राशि भी ली जाएगी। अतिरिक्त अमानत राशि असंतुलित बोली राशि के पचास प्रतिशत के बराबर होगी। करार के निष्पादन से पूर्व सफल बोलीदाता द्वारा अतिरिक्त अमानत राशि एकमुश्त जमा की जाएगी। अतिरिक्त अमानत राशि ई–ग्रास, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, सरकारी प्रतिभूतियों अथवा बैंक गांरटी के माध्यम से जमा की जाएगी।

:– उपरोक्त नियम के स्पष्टीकरण के लिए–

I. असंतुलित बोली का अर्थ है अनुमानित बोली मूल्य के पंद्रह प्रतिशत से कम कोई बोली।

II. अनुमानित बोली मूल्य का अर्थ है बोली दस्तावेजों में यथा उल्लिखित कार्य का अनुमानित मूल्य।

III. असंतुलित बोली राशि का अर्थ है बोलीदाता द्वारा उद्धृत बोली राशि घटाकर अनुमानित बोली मूल्य के पचासी प्रतिशत का सकारात्मक अंतर।

IV. संपूर्ण कार्य के संतोषजनक रूप से पूरा होने के बाद ठेकेदार को अतिरिक्त अमानत राशि वापस कर दी जाएगी। जब ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा नहीं किया जाता है। तो संस्था द्वारा अतिरिक्त अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

22) वार्ता –**Negotiations :**

1.0 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (एल–1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोशियेशन किया जा सकता है । न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदाकर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्तावत स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर ऑफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (एल–2) को तत्पष्चात तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (एल–3) को दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त कमानुसार दिया जावेगा । जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार (Counter Offer) स्वीकार करेगा उसे कम्पनी द्वारा कार्यादेष जारी किया जा सकता है ।

2.0 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोशियशन के दौरान दिया हुआ दर प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा।

3.0 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति/अधिकार पत्र (Written Authority) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कि यह स्पष्ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्तावत को संशोधित/बदलने के लिए प्राधिकृत हैं।

23) **कार्याआदेश जारी करना :**

सफल निविदादाता को कंपनी द्वारा स्वयं सूचना दे दी जाएगी की उसकी निविदा कंपनी ने स्वीकार कर ली है। और इसके बाद सफल निविदादाता को निर्धारित फारमेट में कंपनी के साथ एग्रीमेन्ट करना होगा। यह सब अनुबंधकर्ता की लागत पर होगा और इसमें निविदाप्रपत्र , कार्यादेश, सम्मिलित होगा । एग्रीमेन्ट का फारमेट आरएसएमएमएल द्वारा दिया जाएगा ।

24) **संस्थान के सुरक्षित अधिकार–**

24.1 किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा , बिना किसी कारण बताये ।

24.2 संस्थान निम्नतम दर को स्वीकार करने को बाध्य नहीं है बिना कारण दर्शाये ।

24.3 संस्थान कार्य की मात्रा को RTPP Act के अनुसार बढाने/घटाने का एवं अनुबंध अवधि को बढाने/ घटाने का अधिकार रखती है, बिना किसी अतिरिक्त दायित्व के ।

24.4 कार्य के किसी भाग को न कराने का अधिकार रखती है ।

24.5 अगर साबित होता है कि निविदादाता ने कोई गलत सूचना दी है या जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं तो कंपनी ऐसे निविदाता की निविदा को निरस्त करने का अधिकार रखती है । कंपनी इन अधिकारों का प्रयोग कार्यादेश जारी करने के पूर्व कर सकती है । कंपनी को इस संदर्भ में निविदादाता को सूचना देना अनिवार्य नहीं होगा ।

25) **निशपादन मूल्यांकन करने का अधिकार :**

25.1 कंपनी को यह अधिकार है कि वह अनुबंध अवधि में अनुबंधकर्ता द्वारा किये गये कार्य का निष्पादन मूल्यांकन कर सकती है। अगर यह पाया जाता है कि अनुबंधकर्ता कार्य को निष्पादित करने हेतु असफल है या उसके द्वारा किया गया कार्य उच्च श्रेणी का नहीं है या यह पाया जाता है कि अनुबंधकर्ता द्वारा अनुबंध की कोई शर्तो की पालना नहीं की गई है तो उस दशा में कंपनी को यह अधिकार है कि वह उचित कार्यवाही अनुबंधकर्ता पर कर सकती है और अनुबंध को निरस्त करने एवं अमानत राशि को जब्त करने का अधिकार भी कंपनी का सुरक्षित है ।

25.2 कंपनी को यह अधिकार है कि अगर अनुबंधकर्ता के खराब निष्पादन या अनुबंध की किसी शर्त की अवहेलना करने से कंपनी को कोई नुकसान होता है तो ऐसे नुकसान की भरपाई अनुबंधकर्ता की अमानत राशि से एवं अनुबंधकर्ता की बकाया राशि से किया जा सकता है । कंपनी को यह अधिकार है कि वह अनुबंधकर्ता की रिस्क और कॉस्ट पर यह कार्य किसी अन्य एजेन्सी से करा सकती है ,अगर अनुबंधकर्ता निरन्तर तीन दिन से ज्यादा तक कार्य करने में असफल रहता है तो यह कार्य अन्य एजेन्सी द्वारा कराया जा सकता है और अन्य एजेन्सी की दरें अलग पायी जाती है तो अन्तर की राशि अनुबन्धकर्ता द्वारा देय होगी ।

26) **अनुबंध को निरस्त करना**

26.1 अगर अनुबन्धकर्ता अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य करने में असफल रहता है तो कंपनी अनुबंधकर्ता को लिखित सूचना देकर कार्य को सात दिन के अन्दर–अन्दर सही करने का आदेश दे सकता है । अगर सात दिन के अन्दर भी कार्य को सही करने में अनुबन्धकर्ता असफल रहता है तो कंपनी अनुबंध को निरस्त करने और धरोहर राशि/अमानत राशि को जब्त करने का अधिकार रखती है । अनुबंध का निरस्तीकरण अनुबंधकर्ता की अनुबंध के अर्न्तगत आने वाले उतरदेयता को समाप्त नहीं करता है ।

26.2 अनुबंध उस दशा में भी निरस्त किया जा सकता है अगर अनुबंधकर्ता दिवालिया घोषित हो गया है या उसका व्यापार बन्द हो गया है ।

26.3 कंपनी किसी भी समय कभी भी बिना किसी कारण बताये 15 दिन का नोटिस देकर, जो उसके अन्तिम बताये गये पते पर देकर अनुबंध निरस्त कर सकती है। ऐसी दशा में अनुबंधकर्ता किसी भी कम्पनसेशन की मांग कंपनी को नहीं कर सकता है ।

अनुभाग–तृतीय

1. कार्य क्षेत्र

1.1 एस.बी.यू. एवं पी.सी.–लाईमस्टोन, जोधपुर स्थित कार्यालय, में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सेवायें किराये पर ऐजेन्सी के माध्यम से उच्च कुशल प्रकृति के श्रमिकों की सेवायें करने हेतु 04 कुशल प्रकृति के श्रमिक (कामगार) उपलब्ध कराने हेतु। कम्पनी के निर्देशानुसार एक कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) कम्पनी के उदयपुर कार्यालय पर उपलब्ध करवाना होगा।

1.2 राजस्थान सरकार द्वारा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सेवायें सम्बन्धित समय समय पर जारी आदेशों की पालना एवं कामगारों की योग्यता अनिवार्य है।

1.3 कंपनी के एस.बी.यू. एवं पी.सी.–लाईमस्टोन, जोधपुर स्थित कार्यालय, जोधपुर रेलवे स्टेशन से करीब 3.0 (तीन) किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

2. कार्यअवधि :–

कार्य आदेश जारी करने की तिथि से या निर्धारित तिथि से तीन (03) वर्ष के लिए होगा। सफल निविदाकर्ता को कार्यादेश/एल0ओ0ए0 जारी होने के 15 दिन के भीतर निविदा में वर्णित निर्धारित संख्या में श्रमिकों को तैनात कर काम शुरू करना आवश्यक होगा। कार्य अवधि समाप्त होने के पश्चात राजस्थन ट्रान्सपरेन्सी एक्ट के तहत किरायें पर अतिरिक्त सेवाएं व कार्य की अवधि को बढाया जा सकता है, जिसका अधिकार आरएसएमएमएल के पास होगा।

3. पात्रता :–

निविदाओं को निम्न योग्यताओं के आधार पर आगे की प्रकिया के लिए प्रि–क्वालिफाइड किया जावेगाः

निविदाओं को निम्न योग्यताओं के आधार पर आगे की प्रकिया के लिए प्रि–क्वालिफाइड किया जावेगाः

3.1. निविदाकर्ता को राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, , वस्तु एवं सेवाकर (जी. एस.टी.), आयकर (पेन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत तथा इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है एवं निविदाकर्ता के पास कम से कम रू. 7.8 लाख रू. कारोबार तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2021–22, 2022–23, एवं 2023–24 में से किसी एक वर्ष में स्वयं के नाम से होना आवश्यक है। ई–निविदा के बारे में विस्तृत जानकारी ई–निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है जो कि rsmm.com, eproc.rajasthan.gov.in तथा sppp.rajasthan.nic.in पर उपलब्ध है ।

निविदा ऑनलाईन भरी जावेगी । टेंडर फीस व प्रोसेसींग फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दी जायेगी । धरोहर राशि, निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं निविदा प्रकिया शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट ई निविदा प्रस्ताव के साथ जमा कराने होंगे। निविदाकर्ता से अनुरोध है कि org https://eproc. rajasthan.gov.in वेबसाईट पर दी गई जानकारियों को पढ़ें तथा उनको समझ कर ऑनलाईन निविदा उसी के अनुसार भरें । इच्छुक व्यक्ति/कम्पनी /संस्था को निविदायें अहस्तान्तरणीय मूल्य/दर भाग में प्रस्तुत करनी होगी । प्राप्त निविदाएं उपरोक्तानुसार तिथि को संस्थान के लाईम स्टोन कार्यालय, जोधपुर में ऑनलाईन खोली जायेगी। प्रबन्धन बिना

कोई कारण बताये निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त कर सकता है । फैक्स द्वारा भिजवाई गई निविदायें मान्य नहीं होगी ।
जिन निविदाकर्ताओं को कम्पनी/किसी सरकारी संगठन/विभाग द्वारा प्रतिबंधित या निलंबित कर दिया गया है एवं निलंबन अवधि के दौरान इस निविदा में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होंगें।

4. कार्यविवरण :

4.1 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संख्या व योग्यता विवरणः–

- कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सख्या':– वर्तमान में चार (04), आवश्यकता होने पर बढाई/घटाई जा सकती है।
- कर्मी की योग्यताः– कर्मी स्नातक होना चाहिये। कम्प्यूटर ऑपरेटर को विन्डोज/लाइनेक्स एन्वायरमेन्ट ओपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इन्टरनेट का ज्ञान/अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अग्रेजी की टाईपिंग का ज्ञान और राज्य सरकार के वित्त विभाग से जारी परिपत्रों की पालना आवश्यक है।

4.2 **मशीनों को विवरणः**–निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी मे होना आवश्यक है–

i) Computer –Intel Core i3/Equivalent AMD based computer or higher speed RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more. 15" Monitor\TFT or bigger 10/1001000 Mbps Lan card, Cd/DVD writer standards Keyboard, Optical Mouse, Standard serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS office, responsibility of software license will be borne by the contractor.
ii) Printer:-Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix /inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.
iii) UPS:- Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

4.3 कम्प्यूटर ऑपरेटर को आईडी कार्ड (परिचय पत्र) संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें तथा कार्यालय समय मे कम्प्यूटर ऑपरेटर को एजेन्सी द्वारा परिचय पत्र आईडी कार्ड अपने पास रखना/मांगने पर दिखलाना आवश्यक होगा।

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से सायः 6 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय आर.एस.एम.एम.लि. द्वारा परिवर्तन किये जाने पर तदनुसार मान्य होगा ।

4.4 सफल निविदादाता कार्य पर जिन कर्मियों को संविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एव पते मय दो फोटो तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रो की प्रतियां कार्यदेश जारी होने की तिथि के एक माह के अन्दर कार्यालय मे प्रस्तुत करने होगें। अनुबन्ध की अवधि मे यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होगें।

4.5 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु अन्य शर्ते वित विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.4.

2018, एवं एफ.2 / एफ.डी.(1)एम.पी.एफ.सी / 2017 दिनांक 11.7.2018 में उल्लेखित दिशा–निर्देशों तथा प्रचलित न्यूनतम मजदूरी ईपीएफ, ईएसआई आदि की अनुपालना सम्मिलित है।

5. कार्य में नियोजित कामगार :–

5.1 निविदाकर्ता द्वारा इस कार्य हेतु नियोजित कामगारों की सूचना संलग्न परिशिष्ठ–'र'' में कार्य आरम्भ करने से पूर्व कम्पनी द्वारा प्रबन्धक (प्रशासान) को लिखित रूप मे देनी होगी ।

5.2 निविदाकर्ता द्वारा नियोजित कामगार योग्य, वयस्क, स्वस्थ विशेषतः चर्म रोग या ऐसी कोई संक्रमण वाली बीमारी से ग्रसित नहीं होने चाहिए । इस आशय का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी कार्य आरम्भ करने से पूर्व देना होगा ।

5.3 सभी नियुक्त कामगार मृदुभाषी, कुशल, व्यवहारिक एवं अनुशासित व साफ सुथरी वर्दी में होना आवश्यक है ।

5.4 सामान्यतः कामगारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए परन्तु परिवर्तन करने पर उसकी सूचना परिशिष्ट 'र' में देनी अनिवार्य होगी ।

5.5 यदि कोई भी कामगार अनुशासनहीनता या कम्पनी कार्य में दखलंदाजी या किसी प्रकार की हानि करते पाया गया तो निविदाकर्ता को ऐसे कामगार को तुरन्त हटाना होगा ।

5.6 नियुक्त कोई भी कामगार बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटका, शराब अथवा किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा । ऐसे पदार्थ का सेवन किये हुए / करते हुए पाये जाने पर ऐसे कामगार को तुरन्त हटाना होगा। इससे होने वाले समस्त नुकसान की भरपाई निविदाकर्ता के मासिक बिलों मे से की जाएगी ।

5.7 कामगारों को वेतन, भत्ता इत्यादि का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा देय होगा । वेतन भुगतान आदि से संबंधित समस्त रिकार्ड प्रतिमाह कम्पनी द्वारा अधिकृत अधिकारी से सत्यापित कराने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी । अगर निविदाकर्ता अपने कामगारों का भुगतान कम / नहीं करता है तो कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह निविदाकर्ता के मासिक बिलों अथवा अमानत राशि में से कटौती करके ऐसे कामगारों को देय मासिक वेतन का भुगतान अपने स्तर पर करें ।

5.8 कम्पनी द्वारा अनुबंध समयावधि के दौरान कुल ऑपरेटर की संख्या में वृद्वि या कमी करने पर सेवा प्रदाता को देय कुल राशि का भुगतान प्रति श्रमिक को देय भुगतान के आधार पर किया जायेगा।

6. निविदाकर्ता के सामान्य दायित्व :–

6.1 इच्छुक विर्निदिष्टित बोलीदाताओं / संवेदक को राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, , वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.), आयकर (पेन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत तथा इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत व अनुभवी होना आवष्यक है ।

निविदाकर्ता अपने कार्य निष्पादन से संबंधित सभी दायित्वों, देनदारियों जो कि कामगारों ओर कोई तृतीय पक्ष के मजदूर एवं नियोजित कामगारों को किसी भी नियम एवं उपनियम के तहत देय होगी से सम्बन्धित भुगतान क रने के लिए स्वयं बाध्य होगा ।

6.2 सफल निविदाकर्ता कर्मचारियों से सम्बन्धित कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के अन्तर्गत दिये गये नियमों, उपनियमों समय समय पर किये गये संशोधनों का निर्वहन नहीं किये जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगा ।

6.3 संविदा लागू होने की स्थिति में निविदाकर्ता को कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम और उसके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और निविदाकर्ता द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा । निविदाकर्ता ऐसे कर्मचारियों से उनका अंशदान वसूल करेगा और अपने अंशदान (भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी दर अनुसार अपने अंशदान की बराबर राशि) के साथ सीधे क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालय अथवा कंपनी के पी.एफ.ट्रस्ट में जमा कराएगा । कम्पनी (आर.एस.एम.एम.एल.) के पी.एफ. ट्रस्ट में जमा कराये गये अंशदान पर कर्मचारी के वेतन (मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता) का 1.15 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के रूप में कम्पनी द्वारा वसूला जावेगा । इस प्रशासनिक शुल्क में से 0.18 प्रतिशत के बराबर राशि कम्पनी द्वारा निरीक्षण शुल्क के रूप में क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालय में जमा कराई जावेगी। निविदाकर्ता के द्वारा चूक होने की स्थिति में कम्पनी को वह राशि निविदाकर्ता की ओर से जमा करानी होगी अतः निविदाकर्ता उस राशि का कम्पनी को पुनर्भरण के लिए बाध्य होगा । कंपनी निविदाकर्ता की ओर से किये गये ऐसे अंशदान की राशि के समायोजन के लिए अधिकृत होगी । निविदाकर्ता ऐसे रिकार्ड के रखरखाव और नियमों के अंतर्गत संबंधित अधिकृत अधिकारियों को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य होगा । कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु मांगने पर ऐसे समस्त रिकार्ड एवं प्रतिवेदन को निविदाकर्ता उपलब्ध कराएगा । श्रमिकों से संबंधित समय समय पर समूह महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक और राज्य सरकार द्वारा बनाए गये नियमों/अधिनियमों जैसे श्रमिकों को वेतन का भुगतान, वेतन भुगतान अवधि, अनाधिकृत कटौतियाँ, वेतन बुक एवं पर्चियों, वेतन की सूचना का प्रकाशन और नियोजन की अन्य शर्तें, निरीक्षण एवं अवधिपरक प्रतिवेदनों का प्रेषण एवं अन्य संबंधित प्रावधानों की पूर्ण पालना करेगा।

7 निविदाकर्ता के विशेष दायित्व (राज्य सरकार के परिपत्र एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के अनुसार) :—

(i) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केद्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

(ii) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) को प्रस्तुत की जायेगी।

(iii) यदि किसी उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) द्वारा बिड संबंधी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय—समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जावेगी।

(iv) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया

जायेगा।

(v) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

(vi) श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) द्वारा संवेदक को बढ़ी न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(vii) संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक को अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जावेगा।

(viii) संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाऐगा।

(ix) राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

(x) संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तुत एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तुत एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST)की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xi) श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

(xii) यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(xiii) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xiv) कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने

इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(xv) यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

(xvi) यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि का न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक को होगा।

8 निविदा/बोली की विशिष्ट शर्तें

(i) बोलीदाता/संवेदक अपनी निविदा/बोली या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नहीं किसी को आगे निविदा/बोली पर दे सकेगा।

(ii) बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

(iii) निविदाकार के पास स्वंय के नाम अथवा फर्म के नाम का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। सक्षम प्राधिकारी/रजिस्ट्रार से पंजीकृत संस्थाओं द्वारा ही दी गई निविदा/बोली मान्य होगी । संस्था का स्वंय के नाम अथवा फर्म के नाम से बैंक में खाता होना आवश्यक है।

(iv) निविदा/बोली किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक साझेदार को अधिकृत किया जाने की स्थिति में पावर ऑफ अर्टोनी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदा/बोली स्वीकृति के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबन्ध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबन्ध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नहीं करे, तब तक फर्म में कोई नया साझेदार सम्मिलित नहीं किया जावेगा। निविदाकार कम्पनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा/बोली भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृति निविदा/बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

(v) सफल सेवाप्रदात/बोलीदाता/सेवेदक कार्मिकों को विभाग के अनुमोदन के बिना नहीं हटा सकेगा परन्तु आर.एस.एम.एम.एल. प्रशासन/सेवाप्रदाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों को हटाने हेतु सक्षम हैं, परन्तु हटाये गये कार्मिक की जगह अन्य कार्मिक मांगने पर सेवाप्रदाता/बोलीदाता/संवेदक उपलब्ध करवाने हेतु बाध्यकारी होगा।

(vi) प्रत्येक कर्मकार को श्रम विभाग के अनुसार एक साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य रूप से देय होगा।

(vii) दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मकार को देय मानदेय की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है उस वर्ग के लिए नियत मासिक मजदूरी की दर सप्ताह में एक

अवकाश देते हुए उपस्थिति संख्या के आधार पर अधिकतम 26 दिवस का ही भूगतान किया जायेगा जो मासिक मानदेय कहलायेगा। बिल एंव बिल के साथ समस्त संलग्नकों पर अनुबन्धित फर्म या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर अंकित होना आवश्यक है। बिल पर अनुबन्धित फर्म या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

(viii) यदि अनुबन्धित फर्म एवं जोब बेसिस कार्य हेतु लगाये गये कर्मकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो इसकी जिम्मेदारी अनुबन्धित फर्म की होगी। इसके लिए आर.एस.एम.एम. लिमिटेड उत्तरदायी नहीं होगा।

(ix) अनुबन्धित फर्म द्वारा जोब बेसिस कार्य हेतु लगाये कर्मकारों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी वा दायित्व अनुबन्धित फर्म की होगी। इसके लिए आर.एस.एम.एम. लिमिटेड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(x) अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं करने या अनुबन्धित फर्म का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर पूर्ण धरोहर/प्रतिभूति राशि को जब्त करने का पूर्ण अथवा आंशिक अधिकार आर.एस.एम.एम. लिमिटेड को होगा।

(xi) प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सभी कर्मकारों को बैंक खाते द्वारा भुगतान करना होगा। देरी से भुगतान की शिकायत प्राप्त होने पर बिल की कुल राशि की 5 प्रतिशत राशि + जीएसटी आर.एस.एम.एम. लिमिटेड द्वारा शास्ति के रूप में काटी जा सकती है।

(xii) अनुबन्धित फर्म द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य में लगाये जाने वाले कर्मकारों की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो सहित संबंधित जॉब कार्य के प्रभारी/नियंत्रक को कार्य प्रारम्भ करवाने से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। इसके आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से अनुबन्धित फर्म जिम्मदार होगी। इन कर्मकारों के नियमित पुलिस वेरीफिकेशन कराने की जिम्मेदारी अनुबन्धित फर्म की होगी। अनुबन्धित फर्म के पास जिन कर्मकारों के नवीन पुलिस वेरीफिकेशन (निविदा/बोली जारी होने की दिनांक से पूर्व के दो माह तक के) हो उन्हीं कर्मकारों को कार्य पर उपलब्ध करायेगा। पुलिस वेरीफिकेशन की सूची में सत्यापित प्रतियां जॉब कार्य के प्रभारी/नियंत्रक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी कार्मिक को विरूद्ध आपराधिक/न्यायिक मामला चल रहा है तो उस कार्मिक को अनुबन्धित फर्म आर.एस.एम.एम. लिमिटेड में उपलब्ध नहीं करायेगा।

(xiii) अनुबन्धित फर्म द्वारा यदि संबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य के एक कार्य बिन्दु पर कार्य कम हुआ हो तो कर्मकार से अन्य कार्य बिन्दुओं पर सेवायें ली जा सकती हैं।

(xiv) अनुबन्ध की अवधि के दौरान कर्मकारों के द्वारा किसी भी समय कितनी भी अवधि वं किसी भी कारण से कार्य का बहिष्कार किया जाता है या हड़ताल की जाती है तो यह अनुबन्धित फर्म द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कमी मानी जावेगी एवं शर्तों का उल्लघंन माना जाकर प्रत्येक ऐसे अवसर/घटना के लिए रूपये 5000/– तक की शास्ति लगाने का पूर्ण अधिकार आर.एस.एम.एम. लिमिटेड को होगा।

(xv) निविदाकार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत पर कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौति की जाकर भुगतान किया जावेगा। बोलीदाता/संवेदक के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा।

(xvi) विवाद की स्थिति में आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, का निर्णय अंतिम होगा व बोलीदाता/संवेदक को मान्य होगा।

(xvii) प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कम्प्यूटर के डेटा को सुरक्षित रखेगा तथा कम्प्यूटर को बदलने या हटाने की स्थिति में उक्त डेटा को विभाग को संभलवायेगा तथा कम्प्यूटर सिस्टम

से डिलिट किया जायेगा।

(xviii) प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनायी रखनी होगी। बिना अनुमति डेटा का प्रकटीकरण नहीं करेगा। डेटा से छेड़छाड़/फेरबदल/धोखाधड़ी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

9 **स्थानीय कार्यालयः**

संविदाकार को अपना स्थानीय कार्यालय जिला मुख्यालय जोधपुर में खोलना होगा तथा वहाँ पर किसी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी जो कि संविदाकार की तरफ से निर्णय लेने में सक्षम हो। ऐसे कार्यालय व नियुक्त किये गए व्यक्ति की जानकारी संविदाकार को कंपनी में लिखित रूप से प्रस्तुत की जाना आवश्यक है तथा नियुक्त व्यक्ति को सामान्यतः कम्पनी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करना आवश्यक है।

10 **न्यूनतम (L1) निविदादाता निर्धारित करने का आधार :**

10.1 कार्य की दर केवल उन्ही निविदाकर्ताओं की खोली जायेगी जिनकी निविदा तकनीकि एवं वाणिज्यिक रूप से स्वीकार होगी ।

10.2 जिस निविदादाता की मासिक आधार पर सबसे कम होगी वही न्यूनतम दर L1का प्रस्ताव माना जाएगा।

10.3 यदि निविदा के अन्तर्गत समान दर प्राप्त हो तथा कार्य का बंटवारा संभव न हो तो निम्न श्रेणी के अनुसार निम्न क्रम में बोलीदाताओं को कार्य प्रदान किया जायेगा।

1. केंद्र/राज्य के स्वामित्व वाले संगठन
2. भूतपूर्व सैनिक कल्याण सोसायटी
3. पंजीकृत सहकारी समिति
4. व्यक्तिगत/स्वामित्व फर्म
5. साझेदारी फर्म
6. निजी फर्म
7. पब्लिक लिमिटेड फर्म्स

उपरोक्त श्रेणी के एक से अधिक बोली लगाने वालों के मामले में पिछले वित्तीय वर्ष 2023–24 में अधिक टर्नओवर वाले बोलीदाता को कार्य प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा।इस सन्दर्भ में कंपनी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

11 **कर एवं दरें –**

निविदादाता को प्रस्तुत दरों में वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax) सम्मिलित नहीं करना होगा अन्य सभी प्रकार की ड्यूटी शामिल करनी होगी जो कि निविदा की अंतिम तिथि तक लागू हो। प्रस्तुत दरें कार्य अवधि के दौरान स्थिर रहेगी एवं निविदा में वर्णित शर्तो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वृद्धि देय नहीं होगी।

वस्तु एवं सेवा कर का समय से भुगतान करना एवं टैक्स रिटर्न समय से जमा करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कांट्रेक्टर की रहेगी। इसके तहत प्राप्त निर्धारित क्रेडिट RSMML को मिले यह सुनिश्चित करना भी कांट्रेक्टर का कार्य होगा।

यदि किसी कारणवश RSMML को क्रडिट नहीं मिलता है तो कम्पनी कांट्रेक्टर को देय बिल/सिक्योरिटी डिपोजिट में से यह क्रडिट राशि कटौती करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

कार्य के लिए देय भुगतान के GST return भरने में हुई गलती या देरी एवं Reversal of input tax credit (ITC) कारण पैनेल्टी लगने की परिस्तिथी में देय राशि का भुगतान कांट्रेक्टर द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो कम्पनी यह राशि काट्रेक्टर को देय राशि में से कटौती/समायोजित कर सकती हैं।

निविदादाता को निविदा दर भरते समय सभी प्रकार के डयूटी एवं लेवीज, जो इस कार्य से संबंधित हो जोडकर भरनी होगी । इस विषय में अनभिज्ञता अगर निविदादाता द्वारा दर्शायी गयी, तो वह अतिरिक्त पेमेन्ट इस एवज में प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है ।

अगर निविदा भरने के बाद कर एवं डयूटी बढती है या घटती है या निरस्त हो जाती है या नयी इम्पोज की जाती है और जो अनुबंधित कार्य से संबंधित है तो तदनुसार आरएसएमएमएल अनुबंधकर्ता से कर एवं डयूटी की वसूली करेगा या अनुबंधकर्ता को इन करों एवं डयूटी की क्षतिपूर्ति करेगा लेकिन इसके लिए अनुबन्धकर्ता को कंपनी को इससे संबंधित दस्तावेज देने होंगे। कंपनी को आयकर या अन्य कर जो इस कार्य से संबंधित हो की कटौती करने का पूर्ण अधिकार है।

12 बिलों का भुगतानः

(i) संविदाकार को बिलों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा ।

(ii) महीने का कार्य पूर्ण होने पर संविदाकार अगले माह के प्रथम सप्ताह में दो या अधिकतम 7 तारीख तक बिल दो (02) प्रतियों में कम्पनी के अधिकृत प्रयोगकर्ता द्वारा प्रमाणित करवा कर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। बिलों के साथ पिछले माह का पीएफ, ईएसआई, जमा करवाने का चालान संलग्न होना चाहिए तभी बिल का भुगतान होगा।

(iii) साधारणतः मासिक बिल का भुगतान वैधानिक कटौतियाँ करने के बाद एवं बिल प्रस्तुत करने के पन्द्रह (15) दिन की अवधि के अन्दर अकाउन्ट–पेयी चैक के द्वारा कर दिया जाएगा ।

(iv) निर्धारित समयावधि तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उसका भुगतान साधारणतया अगले माह में किया जायेगा।

13 जुर्माना **(Penalty)** .

(i) कार्य को निर्धारित अवधि मे शुरू नही कर पाने की दशा मे कम्पनी द्वारा कुल अनुबंध राशि का 0.5 प्रतिशत राशि साप्ताहिक लिया जायेगा। ये जुर्माना कुल अनुबन्ध राशि के 2 प्रतिशत से ऊपर चली गयी तब कम्पनी स्वविवेक से निविदा की शर्तो के अनुसार कार्यदेशों को निरस्त कर धरोहर राशि /बयाना राशि जब्त कर सकती है।

(ii) निविदाकर्ता को किसी कार्य दिवस/शिफ्ट पर ऑपरेटर उपलब्ध नही करवाने पर उस कार्य दिवस का भुगतान नही होगा इसके अतिरिक्त 500 रूपये प्रति ऑपरेटर प्रति दिवस के अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप मे लिया जायेगा । इस बाबत इंजीनियर इंचार्ज द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बाध्य होगा ।

(iii) यदि ऐसा पाया जाता है की निविदाकर्ता/ऑपरेटर द्वारा इंजीनियर इंचार्ज द्वारा दिया गया कार्य का निष्पादन निविदा के अनुसार नही करया गया है तो कम्पनी द्वारा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति राशि 500 रूपये प्रति दिन अतिरिक्त लिए जायेगें ।

(iv) यदि निविदाकर्ता द्धारा कार्य का संचालन निविदा की शर्तो के अनुसार नहीं करा गया तब कंपनी द्धारा उस दिन का भुगतान देय नहीं होगा इसके अतिरिक्त कंपनी द्धारा 1000 रूपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप मे ली जाएगी।

(v) सन्तोषजनक कार्य न करने की स्थिति में/कार्य न करने की दशाओं में/कार्य में देरी करने की स्थिति में कम्पनी अपने अधिकार/विवेक/मर्जी से किसी और सेवाप्रदाता से उपरोक्त जुर्माने के अतिरिक्त, अनुबंधकर्ता के खर्चे एंव जोखिम पर कार्य करवाने का अधिकार रखती है एंव ऐसी स्थिति में कम्पनी अनुबंधकर्ता से अन्तर की राशि, जो कि अन्य सेवाप्रदाता उपलब्ध कराने में लगी है, को प्राप्त करने का अधिकार रखती है एंव अमानत राशि में से कटौती का अधिकार रखती है।

(vi) जुर्माना देने से/कम्पनी द्वारा कटौती करने परिस्थिति में भी अनुबंधकर्ता को अनुबंध के दायित्वों से मुक्त नही हो सकेगा एंव अनुबंध के अनुसार ही कार्य करना पडेगा। जुर्माना राशि पर देय जीएसटी का भुगतान भी अनुबंधकर्ता द्वारा किया जायगा।

14 <u>संविदाकर्ता द्वारा अपील करना</u> :–

यदि सविदाकर्ता, स्थानीय प्रबन्धन द्वारा दिये गये निर्णय या कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होता है तो Annexure-C के अनुसार वह प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपना उपरोक्त प्रतिवेदन सलंग्न Form No.1 (see rule 83) - Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 में भरकर निर्धारित शुल्क देकर प्रस्तुत कर सकता है।

15 <u>न्याय क्षेत्र</u> :–

इस अनुबन्ध से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जोधपुर स्थित न्यायालय ही रहेगा ।

16 <u>अनुबन्ध की समाप्ति</u> :–

अनुबन्ध को कम्पनी द्वारा एक माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। निविदाकर्ता द्वारा बिना नोटिस दिये यदि अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो, इस अनुबन्ध समाप्ति पर कम्पनी प्रबन्धन निविदाकर्ता की जोखिम व लागत पर इस कार्य को पूर्ण करवाने के लिए स्वतंत्र होगी और ऐसी किसी भी लागत को निविदाकर्ता के बकाया बिल, अमानत राशि में से समायोजन करने के लिए प्रबन्धन स्वतंत्र होगी। समायोजन के पश्चात् भी कोई राशि शेष वसूल की जानी है तब ऐसी राशि विधिक प्रक्रिया द्वारा निविदाकर्ता से वसूल की जावेगी।

<u>घोषणा</u>

मैंने/हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं। इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर स्वयं/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं । मैंने/हमने इस निविदा प्रपत्र के साथ किसी प्रकार की शर्त इत्यादि संलग्न नहीं है एवं ऐसी किसी शर्त के पाये जाने पर उसे वापस लिया माना जावे ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय सील एवं दिनांक

निविदाकर्ता का नाम ....
पता ....
....
टेलिफोन नम्बर ....

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

8, वेस्ट पटेल नगर , सर्किट हाउस रोड , जोधपुर

Phone: 0291 2511031 / 2516199 Fax: 0291 2511029

परिशिष्ठ–'अ'

निविदादाता से संबंधित सामान्य जानकारी

निविदा संख्याः RSMM/SBU&PC-LS/GGM(LS)/ Cont-14/2024–25/ दिनांक 04.03.2025

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए ।

कम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता स्वयं भरें
1.	वाँछित बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट ।	
2.	निविदाकर्ता का नाम, पिता का नाम वर्तमान एवं स्थाई पता एवं टेलिफोन/ मोबाईल/ फैक्स/ ई–मेल इत्यादि ।	
3.	फर्म की स्थिति में फर्म का नाम, पंजियन संख्या एवं यदि साझेदारी है तो डीड की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें ।	
4.	संविदाकर्ता को एमएसएमईडी रजिस्ट्रेशन(MSMED Act 2006)के लिये ।	हाँ/नहीं
5.	राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम–1970 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्रधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र ।	हाँ/नहीं
6.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्रधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र ।	हाँ/नहीं
7.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम–1948 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्रधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र ।	हाँ/नहीं
8.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम–1958/इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट–1932/ इण्डियन कम्पनी एक्ट–1956 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्रधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र ।	हाँ/नहीं
9	निविदाकर्ता का कुल कारोबार (कम से कम रु. 7.8 लाख)–(प्रतिवर्ष कारोबार C.A.का किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।)	
	वर्ष 2021–22	रु..
	वर्ष 2022–23	रु..
	वर्ष 2023–24	रु..
10.	जी.एस.टी. नं. की प्रति ।	हाँ/नहीं
11.	पेन(PAN)नं. की प्रति ।	हाँ/नहीं
12.	RTPP Act 2012के अनुसारAnnexure-Bमें निविदाकर्ता द्वारा घोषणा।	हाँ/नहीं
13.	निविदा प्रपत्र के शुल्क का विवरण ।	
14	निविदा प्रक्रिया शुल्क (MD, RISL, Jaipur) का विवरण।	

दिनांक : हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

संलग्न :–

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि.
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
8, वेस्ट पटेल नगर , सर्किट हाउस रोड , जोधपुर
Phone: 0291 2511031 / 2516199 Fax: 0291 2511029

परिशिष्ठ–' ब '

ई– निविदा संख्याः RSMM/SBU&PC-LS/GGM(LS)/ Cont-14/2024–25/ दिनांक 04.03.2025

EXCEPTION AND DEVIATION

(अपवाद और विचलन)

निविदादाता का नाम

Tenderer may stipulate here exceptions and deviations to the tender conditions if considered unavoidable.

निविदाकर्ता निविदा शर्तों के लिए यहां अपवाद और विचलन निर्धारित कर सकते हैं । यदि अपरिहार्य है तो ।

No. (संख्या)	Page No. of Tender Document (निविदा दस्तावेज की पृष्ठ संख्या)	Clause No. of Tender Documents (निविदा दस्तावेज की खण्ड संख्या)	Subject (विषय)	Deviation (अपवाद)

अनुबन्धकर्ता की सील
सहित हस्ताक्षर

नाम...

पता...

दिनांक..

परिशिष्ठ–'स'

AFFADAVIT

(on non judicial stamp paper worth Rs. 50/-)

I ……………………………………..S/o Shri ………………………………… aged……….Years , resident of …………………….on behalf of the tenderer i.e. M/s ……………………………….hereby undertake oath and state as under:

1) That I have submitted a tender for ……………………………………………

2) That I/We have gone through the terms & conditions of the tender document.

3) That the provisions of Employees Provident Fund and Miscellaneous provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, in respect of the employees engaged for the work, are not applicable on me / us (i.e. tenderer / contractor)

4) That in case during the currency of the contract, I /We come under the purview of Employees Provident Fund and Miscellaneous provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, then I/We will get myself / ourselves registered with the concerned PF Commissioner.

Deponent
(Authorised Signatory)

VERIFICATION

I /We the above deponent make oath and state that my above statement is true and correct to my persona; knowledge, that no part of it is wrong, that nothing material has been concealed so help me God.

Deponent
(Authorised Signatory)

Note: Original Notarized affidavit shall be sent to the office of GGM (LS), RSMML,08-West Patel Nagar, Circuit House Road, Jodhpur Rajasthan along with Tender fees, processing fees and EMD.

8, वेस्ट पटेल नगर , सर्किट हाउस रोड , जोधपुर
Phone: 0291 2511031 / 2516199 Fax: 0291 2511029

परिशिष्ठ—'द'

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

ई— निविदा संख्याः RSMM/SBU&PC-LS/GGM(LS)/ Cont-14/2024—25/ दिनांक 04.03.2025

द्वितीय भाग दर प्रस्ताव **(Rate Part-BOQ)**

(to be submitted online only in the prescribed format given on the website www.eproc.rajasthan.gov.in)

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को ऑन—लाईन BOQ में ही भरना होगा, निम्न प्रारूप मात्र सूचना हेतु दर्शाया गया है :—

क्र.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी			ईपीएफ दर प्रति व्यक्ति	एसआई दर प्रति व्यक्ति	सामग्री राशि/ उपकरण किराया प्रति कम्प्यूटर (रू. अंको एवं शब्दों में)	सेवा दाता का सर्विस चार्ज राशि प्रति व्यक्ति, प्रति कम्प्युटर (न्यूनतम मजदूरी के प्रतिशत के रूप मे)	कुल राशि कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (योग कालम सं. 4,6,7,8, एवं 9) (रू. अंको एवं शब्दों में)
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	12 प्रतिशत	3.25 प्रतिशत			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर	उच्च कुशल	9334	04	1120.08	303.35	Rates to be quoted online in BOQ		

नोट :अगर निविदा भरने के बाद ईपीएफ दर और ईएसआई दर में वृद्वि या घटोतरी होती तो उसी वृद्वि या घटोतरी अनुसार ही अनुबंधकर्ता को आरएसएमएमएल द्वारा भुगतान किया जाएगा।

1. उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1—7, की पूर्तियां संस्था द्वारा की गई है। बोलीदाता द्वारा शेष

स्तम्भ संख्या 8 से 10 में समुचित प्रविष्टियां की जा सकेंगी । श्रमिकों को देय परिश्रमिक जो कि प्रचलित न्युनतम मजदूरी राशि की दर से कम नहीं होगी।

2. संवेदक द्वारा BOQ में ही ऑन–लाईन प्रविष्टियां की जा सकेंगी ।
3. अंकों व शब्दों में लिखी गई दर में विरोधाभास होने पर शब्दों में लिखी गई दरें ही मान्य होगी ।
4. निविदाकर्ता को प्रस्तुत दरों में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी)सम्मिलित नहीं करना है अन्य सभी प्रकार की ड्यूटी शामिल करनी होगी जो की निविदा की अंतिम तिथि तक लागू होगी।
5. मैं यह घोषणा करता हूँ कि अगर यह कार्य मुझे दिया जाता है तो मै जीएसटी–––प्रतिशत चार्ज करूंगा।
6. उपरोक्त दरों से अतिरिक्त कहीं भी दर प्रस्ताव संबंधित अंश आदि निविदा प्रस्ताव में इंगित नहीं किया गया है।

7- ***In consideration of office memorandum of Ministry of Finance, GoI, New Delhi dated 28.01.2014 and guidelines of Ministry of Commerce, GoI, New Delhi dated 17.09.2014,:-***

- i ***"The bidder shall quote service charge as % (percentage) of minimum wages in the prescribed column of BOQ.***
- ii ***"If a firm quotes NIL charges/consideration, the bid shall be treated as unresponsive and will not be considered."***
- iii ***"The bidder necessarily has to quote over and above Zero percent service charge (zero percent includes all derivates of zero upto 0.9999) and any service charge not adhering to the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, GoI, New Delhi guidelines order no. 31/14/1000/2014-GA dated 17.09.2014 shall be considered unresponsive and such bid shall not be considered".***

निविदाकार के हस्ताक्षर

––––––––––––––––––––––––––

निविदाकार का नाम व पद

––––––––––––––––––––––––––

पता ....टेलिफोन नं0 –––

दिनांक ––––––––––––––––

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि.
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
8, वेस्ट पटेल नगर , सर्किट हाउस रोड , जोधपुर
Phone: 0291 2511031 / 2516199 Fax: 0291 2511029

परिशिष्ठ–'य'

AFFIDAVIT
(on non judicial stamp paper worth Rs. 50/-)

ई– निविदा संख्याः RSMM/SBU&PC-LS/GGM(LS)/ Cont-14/2024–25/ दिनांक 04.03.2025
Name of Tenderer…………………………………………………………………………………

I,………………………………………S/o Shri……………………………aged………. Years, resident of…………………………………………………………… on behalf of the tenderer i.e. M/s…………………………………………………………………… hereby undertake oath and state as under:-

(1) I / We are not having or had any litigation with the RSMML/any other company in relation to the work. In case of litigation with RSMM or any other company, I/we hereby undertake that such litigation will not restrict me/us in smooth execution of tendered work.
(2) I / We have not been banned or suspended /de-listed by RSMML or any other Govt. orgarilation.
(3) I / We declare that I/We have not mentioned any exception /deviation of the tender conditions anywhere else in our offer &
(4) I / We declare that price bid is in prescribed & no conditions are attached to it.Even if any conditions /s found, those would be ignored at the risk & cost of us.
(5) That we are registered under MSMED act & the registration number of the firm is……. (Copy enclosed).

Or

That we are not registered under MSMED act.

(6) I/We do hereby declare that I/We have fully read and understood the purpose and contents of all the terms and conditions of this contract, nature, quantum, contract period and scope of work of the tender document and all terms& conditions of this tender and these are acceptable to we/us.
(7) I/We do hereby declare that I/we are not close relative of any employee of the company (close relative means Father, Mother, Brother , Sister , son , daughter and spouse) nor any such close relatives are associated with our firm as proprietor/partner/share holder/member/ directors.
(8) I/We do hereby declare that I/We have fully read and understood the provision of Rajasthan Transparency in public procurement Rules 2013 and all terms& conditions mentioned therein are acceptable to we/us.
(9) I hereby declare that as on date no default has been made by us towards payment of GST and all returns up to the last date of submission of bid have been filled by us."
(10) I hereby declare that the GST component on this work if awarded to me will be ------%

Signature of Tenderer (s)
(Authorised Signatory)
With seal
Place:
Date:

Note: Original Notarized affidavit shall be sent to the office of GGM (LS), RSMML,08-West Patel Nagar, Circuit House Road, Jodhpur Rajasthan along with Tender fees, processing fees and EMD.

परिशिष्ठ–'र'

नियोजित कामगार के विवरण हेतु प्रपत्र

कर्मचारी का फोटो

1. नाम
2. पिता का नाम
3. आयु
4. वर्तमान पता
5. स्थाई पता
6. नामांकितव्यक्ति का नाम व पता
7. शैक्षणिक योग्यता
8. अनुभव
9. पद

कर्मचारी के हस्ताक्षर

दिनांकः

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व मोहर

दिनांक..............

Annexure-A

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure-B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ……………………. For procurement of ………………………. in response to their Notice Inviting Bids No. …………….. ……. Dated ………….. I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date — Signature of bidder

Place — Name:

Designation:

Address:

Annexure-C

The designation and address of the First Appellate Authority is –

Principal Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Mines & Petroleum,
Secretariat,
Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is –
Principal Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Finance,
Secretariat,
Jaipur

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the

following matters, namely:-
(a) determination of need of procumbent;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1
(see rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ………………. of …………………………….
Before the …………………………….(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal : ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………..(Supported by an affidavit)

7. Prayer: ……………………………………………………………………………… …………………………………

Place …………………………..
Date …………………………..
Appellant's Signature

Annexure-D

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

Annexure-E

PROFORMA OF GUARANTEE BOND FOR SECURITY DEPOSIT

(To be issued by a PSU bank (SBI)/ICICI/HDFC/Axis bank having its Branch office at Jodhpur on non-judicial stamp paper on non-judicial stamp paper of valuing 0.25% of BG value subject to maximum of Rs. 25000 or on appropriate value *under Indian Stamp Act* prevailing on the date of issuance of BG.)

B.G____________________Dated_____________________

This Deed of Guarantee made between ___________________________ a Bank, having its registered office at

__________________ and its head office at ____________________________ and wherever the context so required include its successors and assignees (hereinafter called the Surety/Bank) AND Rajasthan State Mines and Minerals Limited, a company incorporated and registered under Indian companies Act,1956, having its registered office at C-89/90 Lal Kothi Scheme, Janpath, Jaipur and Corporate office at 4 Meera Marg, Udaipur and wherever its context so required includes its successors and assignees(hereinafter called 'the company).

Whereasthe Company having agreed to exempt M/s. ________________ a company/partnership firm

_________________ (address of registered/H.O.) where ever the context so require includes its successors and assignees (hereinafter called 'the Contractor) from the demand under the terms and conditions of letter of Acceptance no. ______________ dated _________________ issued in favour of the Contractor and agreement dated __________________ entered into between RSMML and M/s. ________________(Contractor), hereinafter called 'the said letter of Acceptance/agreement' which expression shall also include any amendment, modification or variations thereof made in accordance with the provision thereof, of cash security deposit for the due fulfillment by the said letter of Acceptance/agreement on production of unconditional and irrevocable Bank Guarantee for Rs.
_________(Rs. _______________________) being equivalent to ________________% of Contract value of Rs.
__________________.

Now this deed witnesseth that in consideration of said bank having agreed on the request of the Contractor to stand as surety for payment of Rs. ____________________ as security deposit to the company subject to the following conditions.

1. We, ______________________(Bank) do hereby undertake to pay to the company as amount not exceeding Rs. ________________ against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the company by reason of any breach by the said Contractor of any of the terms and/or conditions contained in the Letter of Acceptance/Agreement The decision of the Company, as to any such breach having been committed and loss/damage suffered to shall be absolute and binding on us.
2. We,__________________ (bank) do hereby undertake without any reference to the Contractor or any other person and irrespective of the fact whether any dispute is pending between the Company and the Contractor before any court or tribunal or Arbitrator relating thereto, to pay the amount due and payable under this guarantee without any demur, and/or protest merely on the very first demand from the Company stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or suffered by or would be caused to or suffered by the Company by reason of any breach by the said Contractor of any of the terms and condition contained in the said Letter of Acceptance/agreement by reason of the said Contractor 's failure to perform the covenants contained in said letter of Acceptance/agreement. Any such demand made on the bank shall be conclusive absolute and unequivocal as regards the amount due and payable by the bank under this guarantee.

However, bank's liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. ___________________.

3. We, ___________________(bank) further agree that the guarantee herein above contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the company under or by virtue of the agreement have been fully paid and its claim/s satisfied or discharged or till the company certifies that the terms and the conditions of the said Letter of Acceptance/agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor and accordingly discharges the guarantee, unless a demand or claim under this guarantee is made on the bank in writing on or before_____________(scheduled completion date, plus six months), the bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter unless otherwise further extended by the bank.
4. In order to give full effect to the guarantee herein contained the company shall be entitled to act as if, we(bank) are your principal debtor in respect of all your claims against the Contractor hereby guaranteed by us as aforesaid and we hereby expressly waive all our rights of surety-ship and other rights, if any which are in any way inconsistent and/or contrary to the above or any other provision of this guarantee, the bank's guarantee to pay hereunder will not be determined or affected by your proceeding against the Contractor and the bank will be liable to pay the said sum as and when demanded by you merely on first demand being made on the bank by you and even before any legal or other proceedings taken against the Contractor . Any letter of demand delivered at the bank's above branch/divisional office or Udaipur branch office under the
signatures of the company's Financial Advisor and/or Head of SBU & PC - Rock Phosphate or any of the Directors shall deemed to be sufficient demand under this guarantee.
5. We, _____________________(bank) further agree that the company shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Letter of Acceptance/agreement or to extend time of performance by the said Contractor from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Company against the said Contractor and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the Letter of Acceptance/Agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation or extension being granted to the said Contractor or for any fore bearance act, or omissions on the part of the company or any indulgence of the Company to the said Contractor or by any such matter or things whatsoever which under the law relating to the sureties would but for this provisions have effect of so relieving us.
6. This guarantee herein contained would come into force from the date of issue and would not be affected by any change in the constitution of the Contractor or ourselves or liquidation or winding up or dissolution or insolvency of the Contractor nor shall it be affected by any change in company's constitution or by any amalgamation or any absorption thereof or therewith but shall ensure for and be available to and enforceable by absorbing or amalgamated company or concern till the payment or amount not exceeding Rs. ____________________ is made by the Bank.
7. The guarantee will not be discharged or affected if the Company holds/obtain any other security/guarantee/promissory note from any person and/or the Contractor and this guarantee shall be in addition to any such guarantees.
8. We,____________________(Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee during this currency except with the previous consent of the company in writing.
9. The bank has power to issue this guarantee in favour of the Company and the undersigned has full powers to do so under power of Attorney dated _________________ granted to him by the bank.
10. For the purpose of enforcing legal rights in respect of this guarantee Udaipur courts in the state of Rajasthan alone shall have jurisdiction.

IN WITNESSETH I, HEREBY___________________ SON OF _____________(designation)______________(branch) constituted attorney of the said bank have set my signatures and bank seal on this guarantee which is being issued on non-judicial stamp of proper value as per Stamp Act prevailing in the state of ___________________executed at ______________ this the __________________ day of _______________20.